न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 4422–II / 13 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–6–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26–9–12 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमियां उभय पक्ष के पिता तुलसीराम के स्वामित्व की भूमियां हैं । ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 2 पर पारित आदेश दिनांक 9–5–2001 से ग्राम पचांयत द्वारा फौती नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जिससे अनावेदक कमांक 1 को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत पर भी उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 9–5–2001 निरस्त कर अनावेदक कमांक 1 को यह निर्देश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई कि वह आवेदक एवं शेष अनावेदकगण को पक्षकार बनाकर विधिवत नामांतरण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

पे

निगरानी प्रकरण क्र०

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

R-2422-II-13

रामरतन पिता तुलसीराम ~~[illegible]~~ काछी
उम्र ६० वर्ष, धन्धा कृषि
निवासी ग्राम बिडवाल, तहसील बदनावर,
जिला धार

-- प्रार्थी

श्री कपिल यादव
प्रार्थी अभिभाषक द्वारा दिनांक 01-11-2013
को प्रस्तुत
833/01-11-2013

विरुद्ध

१- जगदीश पिता तुलसीराम काछी
उम्र वयस्क, धन्धा कृषि
२- श्रीमती सुन्दरबाई पिता तुलसीराम
३- श्रीमती शांतिबाई पिता तुलसीराम
४- श्रीमती धूलीबाई पिता तुलसीराम
५- श्रीमती रुक्माबाई पिता तुलसीराम
सभी की उम्र वयस्क, सभी का धंधा कृषि मजदूरी
सभी निवासी ग्राम बिडवाल, तहसील बदनावर
जिला धार

-- प्रतिप्रार्थीगण

Rs.10 FEE INDIA TEN RUPEES

Rs.10 FEE INDIA TEN RUPEES

Rs.10 FEE INDIA TEN RUPEES

नि० वाचक
27.11.13